न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबडी (नागौर)
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा,आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या : 128 / 16

वादी

1-- महावीरसिंह पुत्र कोजाराम जाति पुरोहित
निवासी रियांबड़ी तहसील रियांबड़ी

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1--सायरी पत्नि स्व.नाथुनाथ जाति नाथ निवासी खेड़ाधूणावाला
2--राज.सरकार जरिए तहसीलदार रियांबड़ी
3--पटवार हलका जाटावास

दावा बाबत घोषणा खातेदारी,रेकर्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 88,89,आरटीएक्ट

वकील वादी--श्री अर्जुनपुरी गौस्वामी
वकील प्रतिवादीनी--000

निर्णय

दिनांक :--20.2.2018

वादी का वाद निम्नलिखित पेश है :-

1-- यह है कि वर्तमान खसरा नंबर 122 रकबा 2.14 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नंबर 95 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा जो कि पूर्व में ग्राम खेडाधूणावाला रियांबड़ी का ही भाग था बाद में ग्राम घोषित होने के कारण अलग ग्राम खेड़ाधूणा वाला दर्जा प्राप्त हुआ व प्रथम सेटलमेंट के पूर्व से ही वादी के दादाजी की सम्पत्ति थी। सेटलमेंट होने के पश्चात श्री रुघसिंह पुत्र सादुलसिंह,रामचन्द्र कोजाराम पिसरान हरबक्षा,कानसिंह पुत्र सालमसिंह मोहनसिंह बाघसिंह पि.डूंगसिंह के हिस्से में आयी हुई थी। जो सम्वत् 2015 से 2018 तक खुदकाश्त थी। एंव इसके पश्चात धारा 19 के तहत नाथूनाथ पुत्र धूकलनाथ के नाम खसरा नंबर 95 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा का नाम खातेदारी में दर्ज हो गया। जो कि वादी के दादा व पिता के यहां काश्तकार था। जो गिरदावरी सम्वत् 2014 से लेकर 2031 तक की पेश है। परंतु उसका किसी प्रकार का खातेदारी हक नहीं था। क्योंकि नाथूनाथ वादी के उक्त खेत खसरान का फसल उवेरने व बोने आदि का कार्य करता था। इस प्रकार उसका नाम गलत खतौनी में दर्ज हो गया। जबकि गिरदावरी में वादी के भाई श्रीकिशन पुत्र कोजाराम के नाम दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त खेत खसरा में प्रतिवादी के पति का नाम कभी काश्त व कब्जा नहीं रहा था। केवल मात्र राजस्व कर्मचारीयों की गलती से उक्त खसरान की खातेदारी दर्ज कर दी गयी। उक्त खसरा नंबर 95 वर्तमान में नये सेटलमेंट में 122 रकबा 2.14 हैक्टर जो वादी के बंट में आया हुआ। जिससे वादीउक्त वाद बाबत खातेदारी घोषणा का पेश करता है।

2--यह है कि नाथूनाथ पुत्र धूकलनाथ के कोई जायन्दा औलाद नही है। उसकी पत्नि के

2018

नाम प्रतिवादी संख्या 1 सायरी के नाम नामान्तकरण भरा गया है। जो कि सायरी का देहान्त हो गया है। परंतु उनके कोई वारीस व उतराधिकारी नही है व दोनो पति–पत्नि नाओलाद स्वर्गवास हो चूके है। परंतु खतौनी में नाम होने के कारण उसको पक्षकार बताया गया है। एंव प्रथम सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादी एंव उसके पूर्वजो का ही काश्त कब्जा रहा है। एंव वर्तमान में वादी के बंट में उक्त खसरा नंबर आया हुआ है। वर्तमान मे भी काश्त कब्जा वादी का है। सम्वत् 2010 से लेकर संवत् 2031 तक खसरा गिरदावरी में भी खुद काश्त वादी के पूर्वजो का व सम्वत् 2031 से 2033 में वादी के भाई श्रीकिशन के नाम दर्ज है। उसके पति नाथूनाथ का कभी काश्त व कब्जा नहीं रहा है। जिससे वादीउक्त आराजी खसरा नंबर 122 रकबा 2.14 हैक्टर की खातेदारी एंव रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का कानूनन मुश्तहक है। जिससे वादी खातेदारी घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का वाद पेश करता है।

3–यह है कि उपरोक्त आराजी प्रतिवादीय के नाम होने से वादी को असहूलियत हो रही है। वादी के हक हकूको पर कुठाराघात हो रहा है। वादी को बेअन्दाज क्षति हो रही है।

4–यह है कि उक्त खसरा नंबर पर सेटलमेंट से पूर्व वादी के पूर्वजो का काश्त कब्जा चला आ रहा है। व प्रतिवादीगण के पति बतोर हाली होने से यानि कृषक होने से भूलवश प्रतिवादीया के पति नाथूनाथ का नाम खातेदार में दर्ज हो गया। जबकि नाथूनाथ का कभी काश्त व कब्जा उक्त आरजी में बतौर खातेदार नहीं रहा। न ही प्रतिवादीया का काश्त व कब्जा बतोर खातेदार रहा। जिससे प्रतिवादीया कोई हक अधिकार उक्त आराजी में नहीं रहा है। इसलिए वादी घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती की डिकी जारी करवाने का अधिकारी है। जिसके लिये वाद पेश है।

5–यह है कि वादी की प्रार्थना है कि डिकी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीके से सादिर फरमायी जावें:–

1–वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 95 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा वादी की कदीमी खातेदारी की काश्त व कब्जासुद घोषित की जावें। जिसमें प्रतिवादीया व प्रतिवादीया के पति का कभी काश्त कब्जा नहीं रहा नही खातेदारी अधिकार है सो घोषित किया जावें।

2–यह है कि रेकर्ड दुरूस्ती की डिकी बहक वादी जारी फरमायी जावें कि माफिक घोषणा के खातेदारी में वादी का नाम राजस्व रेकर्ड खातेदारी में दर्ज किया जावें। प्रतिवादीया का नाम हटाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन जबाब बाबत तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 का नोटिस अदम तामिल के प्राप्त हुआ। तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 फौत हो चूकी है। प्रतिवादी संख्या 2,3 का नोटिस बाद तामिल के प्राप्त हुए। वकील वादी ने प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 फौत हो चूकी है इसके कोई विधिक उतराधिकारी नही है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिशान की तलबी हेतू अखबार सियाहा कराना चाहते है। प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिशान की तलबी हेतू अखबार सियाहा सम्मन जारी किया गया। वकील वादी ने अखबार सियाहा कर अखबार की प्रति पेश की गई निर्धारित समय बीत जाने के उपरात भी प्रतिवादी संख्या 1 के वारिशान की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। आवाज दिलाई गई। कोई हाजिर नहीं होन पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2,3 के सम्मन बाद के प्राप्त होने पर वह भी अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली शहादत वादी में रखी गई। पर्याप्त समय दिये जाने के पश्चात वकील वादी ने शहादत वादी तथा भोमाराम,अर्जुनसिंह,बाबुलाल शैतानसिंह,श्यामसिंह हरिशचन्द्र के बयान करवाये गये।

वादी ने अपनी शहादत में बताया कि वर्तमान खसरा नंबर 122 रकबा 2.14 हैक्टर

जो पहले खेड़ाधूणा वाला रियांबड़ी का ही भाग थां बाद में ग्राम घोषित होन से अलग ग्राम खेड़ाधूणा वाला दर्ज हुआ। वादग्रस्त आरजी पहले वादी के दादा की काश्त कब्जासुदा थी। सेटलमेंट होने के बाद श्री रूघसिंह पुत्र सादुलसिंह,रामचन्द्र कोजाराम पिसरान हरबक्षा,कानसिंह पुत्र सालगसिंह मोहनसिंह बाघसिंह पि.डूंगरसिंह के हिस्से मे आयी हुई थी। जो संवत् 2015 से 2018 तक खुद काश्त थी। इसके बाद धारा 19 के तहत नाथूनाथ पुत्र धूकलनाथ के नाम खातेदारी गलत दर्ज हो गई। परंतु उसका काश्त कब्जा नहीं रहा। नाथूनाथ केवल फसल उवरने व बोने व मजदूरी का कार्य करता था। जिससे उसका नाम खतौनी में गलत दर्ज हो गया। नाथूनाथ के कोई जायन्दा पुत्र पुत्री नहीं है। उसकी पत्नि सायरी का भी देहान्त हो गया है। संवत् 2031 से 2033 वादी के भाई श्रीकिशन का नाम गिरदावरी में दर्ज है। काश्त कब्जा शुरू से लेकर आज जक मुझ वादी का ही रहा है। इस बाबत आज तक कोई विवाद नहीं हुआ है। वकील वादी ने वाद के समर्थन में प्रदर्श 1 जमाबंदी 2070 से 2073,गिरदावरी चौसाला 2010 से 2014 प्रदर्श–2,करवाये गये।

शहादत वादी में भोमाराम पुत्र भागुराम मेघवाल निवासी सैसड़ा ने अपने बयानो में बताया कि वादग्रस्त खसरा में अगूण्या पड़ौसी हूं उक्त खसरा पर मैने मेरी समझ समझाईश से वादी व वादी से पहले उनके बडेरो का काश्त व कब्जा देखता आ रहा हूँ। नाथूनाथ वादी के खेती बाड़ी को सम्भालने का कार्य करता था। उसका वादग्रस्त खसरा में कभी काश्त व कब्जा नहीं रहा उसके जायन्दा औलाद नहीं है तथा ना ही कोई वारिश है। वादी का आज दिन तक शांतिपूर्वक काश्त व कब्जा चला आ रहा है।

शहादत में अर्जुनसिंह पुत्र छोटुसिंह जाति राजपुरोहित निवासी खेड़ाधूणा वाला ने अपने बयानो में बताया कि मैं वादी के उस खेत को जानता हूँउक्त खेत मेरे पड़ोस में आया हुआ है। प्रथम सेटलमेंट के समय से सही लगातार वादी के पूर्वज व वादी का काश्त व कब्जा चला आ रहा है। उक्त खेत पर मैने आज दिन तक किसी ओर का काश्त व कब्जा नहीं देखा है। नाथूनाथ इनके यहा खेती बाड़ी करता था और नौकरी करता था। उसका कभी भी काश्त व कब्जा नहीं रहा है। नाथूनाथ के आगे पीछे कोई आल औलाद नहीं है।

शहादत बाबुलाल पुत्र बक्षीराम राजपुरोहित निवासी खेड़ाधूणावाला ने बताया कि मैं वादग्रस्त खेत का दक्षिणी पड़ौसी हूँ। मैने मेरी समझ समझाईश से ही वादी के बडैरो का व उसके बाद वादी का ही काश्त कब्जा देखा है। नाथूनाथ का कभी काश्त व कब्जा नहीं रहा है। नाथूनाथ इनके नौकर का काम करता था और खेतबाड़ी सम्भालता था।

शहादत शैतानसिंह पुत्र सायरसिंह राजपुरोहित निवासी खेड़ाधूणावाला ने अपने बयानो में बताया कि वादग्रस्त खेत हमारे पडोस में आया हुआ है। इस खेत पर वादी के पूर्वजो का काश्त कब्जा था और आज वादी का काश्त व कब्जा चला आ रहा है। मैं दक्षेणी दिशा का पड़ोसी हूँ। नाथूनाथ इनके खेती बाड़ी का काय्र करता था। उसके पीछे कोई वारिश नहीं है। मेरी समझ समझाईश से ही वादी का काश्त व कब्जा देखा है।

शहादत श्यामसिंह पुत्र बाघसिंह जाति राजपुरोहित उम्र 63 वर्ष निवासी रियांबड़ी नेअपने बयानो में बताया कि वादी हमारे वादग्रस्त खेत में बंटायत है हमारा उक्त खेत खसरा में 1/4 हिस्सा मेरे पिताजी का 1/2 हिस्सा वादी के पिताजी का आया हुआ था। उक्त खेत खसरा नंबर 95 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा वादी व उसके परिवार के बंट में आया हुआ था। अभी वर्तमान में उक्त खसरा वादी के बंट में आया हुआ है। इन्हीं का ही काश्त व कब्जा है। नाथूनाथ इनके खेतबाड़ी का कार्य करता था। उसका कभी काश्त व कब्जा नहीं रहा है। नाथूनाथ के कोई औलाद नहीं है। ना ही कोई वारिश है। वर्तमान में कब्जा काश्त वादी का ही शांतिपूर्वक चला आ रहा है।

शहादत हरिशचन्द्र पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपुरोहित उम्र 51 वर्ष निवासी रियांबड़ी ने अपने बयानो में बताया कि मैं वादी को जानता हूँ। मेरे दादा जी रूघसिंह जी व वादी के पिताजी के पिताजी का 1/2 हिस्सा था। उक्त खेत खसरा नंबर 95 रकबा 13.05 बीघा वादी के परिवार के बंट में आया जिससे उक्त खसरा पर इन्हीं का ही शुरू से ही काश्त व कब्जा चला आ रहा है। फिर इनके भाईयो ने बंटवारा किया तब वादग्रस्त खसरा वादी के हिस्से में रखा जिससे वादी का ही लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। नाथूनाथ वादी के परिवार व पूर्वजो के खेती बाड़ी का कार्य संभालता था। इसके पीछे आज कोई वारिस नहीं है। नाथूनाथ का वादग्रस्त खसरा पर कभी काश्त व कब्जा नहीं रहा है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि खेड़ाधूणा वाला पहले रियांबड़ी का ही भाग था और राजस्व ग्राम घोषित हो जाने से राजस्व ग्राम खेड़ाधूणा वाला ग्राम दर्ज हुआ। खसरा नंबर 95 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा जिसके सेटलमेंट के नये खसरा नंबर 122 रकबा 1.24 हेक्टर कायम हुए। यह सेटलमेंट के पूर्व ही वादी के पूर्वजो के नाम से है और उनका ही काश्त कब्जा था। नाथूनाथ पुत्र धूकलनाथ वादी के पूर्वजो के काश्तकार था और फसलउवरेने व मजदूरी का कार्य करता था। इसलिए धारा 19 के तहत उनके नाम खातेदारी दर्ज हो गयी। नाथूनाथ के कोई पुत्र पुत्री नहीं था। उसकी एक पत्नि सायरी थी। उसका भी देहान्त हो चूका है। उसके कोई विधिक उतराधिकारी नहीं है। इसलिए अखबार सियाहा भी करवा दिया गया है। कोई उपस्थित नहीं हुए है। वादग्रस्त खसरान में वादी के पूर्वजो का नाम चल रहा है। गलती से खुदकाश्त नाथूनाथ का नाम खातेदारी में दर्ज हो गया। सेटलमेंट से पूर्व व आज तक कब्जा काश्त वादी के पूर्वजो का था अब वादी का काश्त कब्जा है। वादग्रस्त आराजी वादी के बंट में आयी हुई है। वादी का नाम संवत् 2014 से 2031 तक की गिरदावरी पेश की है। जिसमें वादी के पिता व पूर्वजो का ही खुद काश्त दर्ज है। वादी ने आस पड़ोसियो तथा सहखातेदारान के उतराधिकारीगणो के बयान भी करवाये गये है। जिसमें सेटलमेंट के समय से वादी के पूर्वजो व उसके बाद वादी का ही काश्त व कब्जा बेरोकटोक बताया है। इसलिए वादी के नाम की घोषणा की जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 सायरी का नाम खातेदारी से हटाया जावें।

वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड खसरा गिरदावरी संवत् 2010 से 2013,2014 से 2017,2018 से 2021 तथा 2031 से 2034 की तथा जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 की पेश की गई। जिसका अवलोकन किया गया। संवत् 2010 से 2013 में रूघसिंह वल्द सादुल,रामचन्द्र कोजाराम पि. हरबक्ष,कानाराम पि.सालग,मोहनलाल वल्द डूंगा,मु0केसर बेवा बोदुराम कोम पुरोहित दर्ज है। खुद काश्त धूकलनाथ उप कृषक नाथूनाथ पुत्र धूकलनाथ दर्ज है। संवत् 2014 से 2017 में उपर वर्णित दर्ज है। तथा उप कृषक नाथूनाथ पुत्र धूकलनार्थ दर्ज है। संवत् 2018 से 2021 में हिस्सा कस्सी की हुई है। डोलदार नाथूनाथ दर्ज है। 2018 से 21 में नाथूनाथ पुत्र धोकलनाथ नाथ के नाम दर्ज है तथा श्रीकिशन वल्द कोजाराम के नाम से काश्त है। संवत् 2015 से 2018 की जमाबंदी के अवलोकन से वादग्रस्त आरजी में धारा 19 के तहत खसरा नंबर 95 का नाथूनाथ वल्द धूकलनाथ के नाम नामन्तकरण दर्ज हुआ है। उसके पश्चात उनके नाम से खातेदारी चली आ रही है। नाथूनाथ के स्वर्गवास के बाद उनकी पत्नि सायरी के नाम से खातेदारी दर्ज हुई। सायरी का भी निधन हो चूका है जो तामिल से स्पष्ट है। और उसके कोई विधिक वारिश भी नहीं है।

मगर वादी ने अपने वाद के समर्थन में शहादत आस पड़ोसियो व सहखातेदान के बयान करवाये गये। तथा उक्त खेत में सहखातेदारान के वारिसान के बयान भी करवाये

गये। सभी बयान गवाहो ने सेटलमेंट के वक्त से वादी के पूर्वजो का काश्त व कब्जा बताया ओर उसके पश्चात वादी का ही काश्त कब्जा स्वीकारा है। क्योंकि वादी के ही वादग्रस्त खसरा बंट में आया था। खातेदार नाथूनाथ वादी के पूर्वजो के यहा सालीपना का कार्य करता था और खेती बाड़ी सम्भलता था। नाथूनाथ के पीछे उनकी पत्नि थी उसका भी देहान्त हो चूका है अब उसके पीछे कोई वारिश नहीं है। नाथूनाथ का उक्त खसरा पर कभी काश्त व कब्जा नही रहा। ऐसा बयान गवाहो से जाहिर होता है।

अतः समस्त विवेचन से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी किया जाता है कि :–

" मौजा खेड़ाधूणा की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 122 रकबा 2.14 हैक्टर की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाती है तथा प्रतिवादीनी संख्या 1 का नाम खातेदारी से हटाया जाता है।"

तहसीलदार रियांबड़ी उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद कर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

नोटः उपरोक्त खसरान में से कोई भी खसरा किसी बैंक में रहन रखा हो तो यथावत रहेगा।

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी

निर्णय आज दिनांक 20.02.2018 को बइजलास खुले में सुनाया गया।

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी